

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



12th October 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

12th October 2022

1. - एससी कॉलेजियम:	3
(i) के बारे में:	3
(ii) सरकारी भूमिका:	3
(iii) संवैधानिक प्रावधान:	3
2. - अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था:	4
(i) परिचय:	4
(ii) अभी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है?	4
(iii) अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर जोर देना क्यों आवश्यक है?	4
(iv) अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?	5
(v) अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास में किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है?	5
(vi) इसमें और अन्य क्या विकल्प हैं?	6
3. - यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले:	7
(i) इस संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?	7
(ii) आगे का रास्ता:	8
4. - एससीओ:	9
(i) एससीओ का इतिहास क्या है?	9
(ii) भारत एससीओ को क्यों महत्व देता है?	9



- (iii) पाकिस्तान और भारत से संबंधित एससीओ की किन नीतियों से हमें अवगत होना चाहिए?..... 9
- (iv) एससीओ के लिए आगे क्या है? 10

संपादकीय विश्लेषण..... 11

1. विकेंद्रीकृत शासन:..... 11

- (i) विकेंद्रीकृत सरकार की स्थापना किन कारणों से हुई? 11
- (ii) क्या परिणाम अनुकूल रहा है? 11
- (iii) कुछ संभावित कारण क्या हैं? 11

2. अभद्र भाषा का विवरण:..... 13

- (i) अभद्र भाषा: यह क्या है? 13
- (ii) अभद्र भाषा के खिलाफ भारतीय कानून:..... 13
- (iii) अभद्र भाषा का निषेध करने वाला विधान 13
- (iv) सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले: 14
- (v) मुद्दे: 14
- (vi) आगे का रास्ता: 15
- (vii) निष्कर्ष:..... 15



1. - एससी कॉलेजियम:

सरकारी भूमिका:

GS II

विषय→न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे

➤ संदर्भ:

- कानून मंत्रालय पहले ही अनुरोध कर चुका है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, यूयू ललित, उनके उत्तराधिकारी का नाम लें; नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उच्चतम न्यायालय में न्याय के लिए दस उम्मीदवारों की आगे की चर्चा को रोकने के लिए सहमत हो गया है।

- कॉलेजियम के नाम चुनने के बाद सरकार इसमें शामिल होगी।
- उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय (आईबी) में एक वकील को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने से पहले सरकार को इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करने की आवश्यकता होती है।
- सरकार कॉलेजियम के निष्कर्षों पर आपत्ति जता सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है।
- यदि कॉलेजियम फिर से वही नाम सुझाता है, तो सरकार को उन्हें संविधान पीठ के फैसलों के अनुरूप न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करना चाहिए।

के बारे में:

संवैधानिक प्रावधान:

- कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बना है।
- उच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश कॉलेजियम बनाते हैं, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम तब तक सरकार तक नहीं पहुंचते हैं जब तक कि उन्हें सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।
- उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों का चयन करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

- संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन किया जाता है।
- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को प्रदान करेगा जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है।

- स्रोत→ हिन्दू



2. - अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था:

अभी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है?

GS III

विषय→विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे

➤ संदर्भ:

- EY और भारतीय अंतरिक्ष संगठन (ISpA), अंतरिक्ष और उपग्रह उद्यमों के देश के प्रमुख उद्योग संघ द्वारा सह-लेखक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2025 तक \$13 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

- 447 अरब डॉलर का वैश्विक अंतरिक्ष बाजार तीन खंडों में बांटा गया है: वाणिज्यिक उपग्रह बाजार, ऑपरेटर राजस्व, और जमीनी आधारभूत संरचना और संचालन (अंतरिक्ष सेवाएं और उपभोक्ता उपकरण)।
- निम्नलिखित तीन क्षेत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक वर्गीकरण मॉडल बनाते हैं: (ए) प्रक्षेपण संचालन; (बी) अंतरिक्ष निगरानी, निगरानी, पट्टे पर और व्यापार; और (सी) (डी) अंतरिक्ष अनुप्रयोग (डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीफोनी, रिमोट सेंसिंग, आदि)।

परिचय:

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर जोर देना क्यों आवश्यक है?

- पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1, अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत को चिह्नित करते हुए 1957 में लॉन्च किया गया था। ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए अमेरिका और पूर्व यूएसएसआर के बीच कड़वे संघर्ष ने शीत युद्ध के युग को परिभाषित किया। इस प्रतियोगिता में यूएसएसआर और यूएस के राज्य के स्वामित्व वाले अंतरिक्ष संगठनों ने बहुत हासिल की। तब से वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, कई अन्य लोगों के बीच, वाणिज्यिक क्षेत्र की भागीदारी रही है। मानव ने पहली बार एक निजी अंतरिक्ष में प्रवेश किया, जैसा कि 2020 में सरकार द्वारा निर्मित, शिल्प के विपरीत, इतिहास बनाते हुए किया गया था।

- भारत बमुश्किल वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 2%, या US\$7 बिलियन लेने का प्रबंधन करता है, इस प्रकार एक बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है। छोटे अंश को केवल संसाधनों और प्रौद्योगिकी द्वारा नहीं समझाया जा सकता है; नीति भी बदलनी होगी।
- आर्थिक विकास: एंड-टू-एंड वाणिज्यिक अंतरिक्ष संचालन को सक्षम करने से 2024 तक \$ 5 ट्रिलियन अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा, यह अनुमान है कि 2040 तक, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए बाजार में यूएस \$ 1 ट्रिलियन से अधिक की वृद्धि होगी।



- कम लागत: भारतीय अंतरिक्ष उद्योग बहुत कम पैसे में अंतरिक्ष यान लॉन्च कर सकता है। यह मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जो पश्चिम के मिशनों की तुलना में 10 गुना कम खर्चीला था। इससे आपको बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ होगा।
- मांग बढ़ रही है, और 2026 तक 10,000 उपग्रहों को निम्न-पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 42.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक, छोटे और लघु उपग्रहों के अनुमानित विस्तार में तीन गुना वृद्धि हुई है। इसलिए छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय विभिन्न तरीकों से बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA) पूरे भारत में उद्योग की ओर से बोलने का काम करता है। उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में अत्याधुनिक अनुभव वाले प्रमुख घरेलू और विदेशी व्यवसाय आईएसपीए का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष वास्तुकला का उपयोग करने का समान अवसर देने के लक्ष्य के साथ की गई थी। किसी भी इच्छुक निजी उद्यमों और इसरो के बीच एक कनेक्शन के रूप में सेवा करके, IN-SPACe समय लेने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करेगा। यह दो तरह से फायदेमंद होगा: (ए) इससे अधिक सक्षम लोगों के लिए अकादमिक शोध और अध्ययन करना संभव हो

जाएगा। उदाहरण के लिए, भारत में स्पेसएक्स जैसा संगठन स्थापित करने से इसरो को अधिक कठिन मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त कर दिया जाएगा, जैसे कि अत्याधुनिक तकनीकों का विकास।

- अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना: जून 2020 में, सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधि के सभी क्षेत्रों में भारत से व्यावसायिक जुड़ाव की अनुमति दी। उपग्रहों का विकास, उनका परिनियोजन और पूर्व में अप्राप्य अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं इसके सभी उदाहरण हैं।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास में किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है?

- बजटीय प्रतिबंध: सीडीएस और आईआईएसटी के अध्ययन के अनुसार, अंतरिक्ष से संबंधित कार्यों के लिए कम पैसे अलग रखे गए हैं। इससे पिछले दो वर्षों के दौरान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष में INR 13,033.2 बिलियन से घटकर 2020-21 में INR 9,500 बिलियन हो गया।
- वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए, सीडीएस और आईआईएसटी पेपर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की सीमा का अनुमान लगाने का एक प्रारंभिक प्रयास था। अंतरिक्ष आधारित रिमोट सेंसिंग का बाजार अभी भी अनुमान के हिसाब से बहुत छोटा था।
- अब जब अधिक व्यवसाय अपने उपग्रहों और वाहनों को पहले से ही भीड़-भाड़ वाली कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम हैं, तो वातावरण में अधिक जगह कबाड़ है। कुछ अनुमानों के अनुसार 200,000 से अधिक 1-10 सेमी टुकड़े और 15,000 से अधिक ट्रेस करने योग्य भाग।



इसमें और अन्य क्या विकल्प हैं?

- निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल करने से पहले, नीतियों को ठीक से लागू किया जाना चाहिए। अधिक निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के साथ कड़े संबंधों के माध्यम से, उन्हें इस क्षेत्र के पैमाने को बढ़ाने की भविष्यवाणी की जाती है। सरकार को प्रसिद्ध विदेशी निजी कंपनियों जैसे स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, और अन्य के साथ-साथ भारतीय निजी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- निवेश को और विकेंद्रीकृत करने के लिए, एफडीआई सुधार आवश्यक है। एक अमेरिकी कंपनी ह्यूजेस कम्युनिकेशंस ने \$500 मिलियन के निवेश की घोषणा की, लेकिन 2017 के बाद से लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रही है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, IN-SPACe को घरेलू और विदेशी उद्यमों को लालफीताशाही को बायपास करने का एक तरीका प्रदान करना चाहिए।
- तीसरा, अंतरिक्ष मलबे की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग आवश्यक होगा। अंतरिक्ष में जितने कार्यक्रम चल सकते हैं और क्या वे कक्षा से मलबे को साफ करने में सहयोग कर सकते हैं, यह सरकार द्वारा लिए गए निर्णय हैं।
- स्रोत → हिन्दू



3. - यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले:

इस संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

GS II

विषय→अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

➤ संदर्भ:

- रूस के यूक्रेन के कई शहरों पर सोमवार को किए गए घातक हवाई हमले में कीव के शहर में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई।
- रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से नागरिकों के खिलाफ सबसे बड़े हमले में, राष्ट्रपति व्लादिमीर वी. पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन के आसपास के शहरों के खिलाफ व्यापक मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जो कि कीव के केंद्र और अग्रिम पंक्तियों से दूर अन्य क्षेत्रों पर हमला कर रही थी।
- हालांकि यह भी प्रतीत होता है कि हमलों का उद्देश्य रूस में कट्टरपंथियों को शांत करना था, जो युद्ध के संचालन पर खुले तौर पर आलोचनात्मक थे, श्री पुतिन ने दावा किया कि लगभग एक दर्जन शहरों पर हमले एक विस्फोट के प्रतिशोध में थे जो आंशिक रूप से नष्ट हो गए थे रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाला पुल।
- रूस और यूक्रेन में संकट से भारत में घरों और व्यवसायों के लिए गैसोलीन, रसोई गैस और अन्य ईंधन की लागत बढ़ जाएगी। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ शिपिंग और परिवहन खर्च बढ़ता है।
- तनाव सरकार के बजट अनुमानों, विशेष रूप से राजकोषीय घाटे को प्रभावित कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तेल की कीमतें कब तक ऊंची रहती हैं, और वे आरबीआई के मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर सकते हैं।
- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में सोने और कच्चे तेल के आयात की लागत में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हो सकती है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है।
- रूसी पेट्रोलियम उत्पाद तेल आयात के लिए भारत के कुल बजट का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा बनाते हैं, इसलिए उन्हें बदला जा सकता है।
- हालांकि, सूरजमुखी के तेल और उर्वरक के विकल्प खोजना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- सीआईएस को दवाओं, चाय और अन्य सामानों के शिपमेंट में समस्या हो सकती है, लेकिन कुल भारतीय निर्यात का 1% से भी कम रूस की यात्रा करता है। माल ढुलाई लागत में वृद्धि से निर्यात की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता भी कम हो सकती है।



आगे का रास्ता:

- आज, शीत युद्ध के विपरीत, वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक करीबी अन्योन्याश्रयता है। यूक्रेन में पहले से मौजूद पीड़ा और मृत्यु के स्तर को देखते हुए एक लंबे संघर्ष का बहुत विनाशकारी प्रभाव होगा।
- कोविड -19 महामारी, जो सबसे गरीब देशों और व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती है, ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। संघर्ष से संबंधित देरी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- इससे पहले कि सभी पक्ष नई वार्ता के लिए बैठ सकें, रूस को युद्धविराम लागू करना चाहिए। समस्या और नहीं बढ़ सकती।
- स्रोत→ हिन्दू

GURU DEEKSHAA IAS



4. - एससीओ:

GS II

विषय→अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

➤ संदर्भ:

- आधिकारिक और राजनयिक स्रोतों (एससीओ) के अनुसार, पाकिस्तान को 13 अक्टूबर को संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास (जेएटीई) के समापन समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है और इसकी देखरेख शंघाई सहयोग संगठन कर रहा है।

एससीओ का इतिहास क्या है?

- शंघाई फाइव, रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से बने गठबंधन ने 1996 में एससीओ की स्थापना की।
- यह समय के साथ क्षेत्रीय आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित हुआ, जो एक बाधा से सीमा विवादों में बदल गया।
- 2001 में उज्बेकिस्तान के सदस्य बनने के बाद समूह ने अपना नाम "शंघाई सहयोग संगठन" में बदल दिया। (एससीओ)।

भारत एससीओ को क्यों महत्व देता है?

- पाकिस्तान और भारत के जुड़ने से एससीओ की भौगोलिक, नस्लीय और आर्थिक संरचना बदल गई है।
- आज, एससीओ, जिसकी दक्षिणी सीमाएँ हिंद महासागर तक पहुँचती हैं, के पास दुनिया की आधी से

अधिक आबादी और उसके सकल घरेलू उत्पाद का एक चौथाई हिस्सा है।

- भौगोलिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक रूप से, एससीओ भारत के लिए अपने सदस्य देशों की निकटता के कारण महत्वपूर्ण है।
- मध्य एशिया से एससीओ के सदस्य अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, और दक्षिणी ताजिकिस्तान केवल जमीन के एक छोटे से पैच से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अलग होता है।
- रसद - जब आपके पड़ोसियों के साथ संबंध तनावपूर्ण होते हैं, तो उनके पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना समझ में आता है।
- समूह में पाकिस्तान के प्रवेश और अफगानिस्तान और ईरान की प्रवेश की इच्छाओं को देखते हुए, भारत की भागीदारी अब और अधिक उचित है।

पाकिस्तान और भारत से संबंधित एससीओ की किन नीतियों से हमें अवगत होना चाहिए?

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि एससीओ के भीतर सहयोग से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में मदद मिल सकती है।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे चीन की एससीओ सदस्यता ने रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान की है।
- इस तथ्य के बावजूद कि परिस्थितियाँ तुलनीय नहीं हैं और भारत-पाक तनाव साधारण सीमा मुद्दों से परे हैं, व्यक्त आशावाद उत्साहजनक है।
- चीन ने अधिक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रूस और मध्य एशिया के साथ अपने सीमा मुद्दों को हल करने के लिए बड़ी रियायतें दीं।



- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस), एक महत्वपूर्ण एससीओ संगठन, खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से सुरक्षा और स्थिरता के लिए समन्वय करता है।
- RATS में, भारत और पाकिस्तान को ऐसी समस्याओं के लिए लगातार एक-दूसरे को दोष देने के बजाय सहयोग करना सीखना चाहिए।
- भारत ने रूस में अगले एससीओ आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया है।

• स्रोत → हिन्दू

एससीओ के लिए आगे क्या है?

- कमजोर पड़ने - जैसे-जैसे एससीओ का विस्तार हुआ है, महत्वपूर्ण विषयों पर इसके कुछ दृढ़ सर्वसम्मति के रुख नरम हो गए हैं।
- विशेष रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने "परमाणु अप्रसार संधि" को स्वीकार किया है, एससीओ इसे अत्यधिक महत्व देता है।
- एससीओ-अनुमोदित परियोजनाओं की सूची से परियोजना का बहिष्कार भारत के साथ चीन की बीआरआई की चिंताओं को दूर करता है।
- सरकारी बयानों और आतंकवाद विरोधी पहलों को विरोधी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक समायोजित किया जाता है।
- पूर्वी समूह - एससीओ, पूर्वी शक्ति का गठबंधन, समूह की संरचनात्मक ताकत और विविधता के कारण पश्चिम के लिए एक शक्तिशाली प्रतिकार बन गया है।
- जबकि कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि यह शीत युद्ध से सोवियत ब्लॉक के राजनीतिक विचारों की निरंतरता है, शब्दावली में काफी बदलाव आया है।



संपादकीय विश्लेषण

क्या परिणाम अनुकूल रहा है?

1. विकेंद्रीकृत शासन:

विकेंद्रीकृत सरकार की स्थापना किन कारणों से हुई?

- 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने विकेंद्रीकृत सरकार की शुरुआत की।
- ये 1993 में प्रभावी हुए और भारत के लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संगठनात्मक संरचना प्रदान की।
- यह कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की जिसमें हर पांच साल में चुनाव, महिलाओं और ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए आरक्षण, सहभागी संस्थानों का विकास, राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का निर्माण, जिला योजना समितियों (डीपीसी) की स्थापना आदि जैसे पूर्व निर्धारित तत्व शामिल थे।
- संरचनात्मक परिवर्तनों के बाद, एक लोकतांत्रिक प्रणाली जो खुली, लचीली और सहभागी थी, अपनाई गई।
- यह सामाजिक न्याय और स्थानीय आर्थिक विकास को क्रियान्वित करने का प्रभारी था।
- कई ग्राम पंचायतों और "स्वशासी" ग्राम सभाओं की स्थापना की गई।
- स्थानीय विकास की देखरेख के लिए, तीन मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई थी।
- समकालीन युग में, यह लोकतंत्र पर एक साहसी प्रयास था।

- इस सुधार पैकेज से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बहुत सुधार नहीं हुआ।
- स्थानीय लोकतंत्र इतना आगे नहीं बढ़ा है।
- स्थानीय पंचायतों के परिणामस्वरूप जनसंख्या की क्षमता, स्वतंत्रता या क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है।
- कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ रहना चाहते हैं, वे शायद ही कभी सभी निवासियों को समान स्तर की आवश्यक सेवाएं प्रदान कर पाए हैं।
- बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा सहित आवश्यक सेवाओं तक पहुंच हमेशा प्राप्य नहीं होती है।
- कुछ सफलता की कहानियों के बावजूद, वे अल्पसंख्यक बने हुए हैं।
- ये सभी स्थानीय लोकतंत्र में सामाजिक विघटन के संकेत हैं।

कुछ संभावित कारण क्या हैं?

- यह सुझाव देता है कि शासन के तीसरे स्तर के साथ एक मूलभूत समस्या है।
- समर्थन - 1991 के राजनीतिक वर्ग-संचालित आर्थिक परिवर्तनों को नौकरशाही का समर्थन प्राप्त था।
- हालाँकि, ऐसा नहीं लगता था कि राज्य विकेंद्रीकृत शासन को समर्थन देने या बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे।
- कार्यान्वयन - भाग IX और IXA आवश्यकताओं को राज्यों (स्थानीय स्वशासन) द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है।



- प्रत्याशित चुनाव समय से अधिक लंबा, एसएफसी या डीपीसी की अनुपस्थिति, आदि।
- ये ऐसे शब्द हैं जो संकेत करते हैं कि स्थानीय स्तर पर सामाजिक न्याय और आर्थिक सफलता कैसे दी जाएगी, जो अधिक महत्वपूर्ण है।
- ऐसा लगता है कि दो महत्वपूर्ण प्रगति और उनकी क्षमता न्यायपालिका के ध्यान से बच गई है।
- विकेंद्रीकरण: केवल केरल ने संस्थागत विकेंद्रीकरण का अनुभव किया।
- कई राज्यों में गतिविधि मानचित्रण के बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि स्थानीय सरकारों के कर्तव्य क्या हैं।
- राज्य अभी भी संसाधनों, गतिविधियों और कर्मचारियों के प्रभारी हैं।
- इसलिए, स्वायत्त सरकार व्यावहारिक रूप से असंभव है।
- हस्तक्षेप: अधिकांश राज्य स्थानापन्न संगठन विकसित करते रहते हैं।
- ये स्थानीय सरकारों की कार्य करने की क्षमता को प्रतिबंधित करते हैं।
- उच्च पदस्थ अधिकारी और मंत्रालय अक्सर उनके प्रभारी होते हैं।
- उदाहरण के लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा एक ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना की गई है।
- इन वैकल्पिक संस्थानों की कानूनी मान्यता के कारण विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रक्रिया को वैधता मिलती है।
- जिला विकास योजनाओं का निर्माण डीपीसी द्वारा किया जाना चाहिए।
- रणनीति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण और स्थानिक योजना सहित तत्वों को ध्यान में रखती है।
- यह बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का एक तरीका हो सकता है।
- लेकिन डीपीसी बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- उदाहरण के लिए, गुजरात जैसे राज्यों में अभी तक डीपीसी नहीं है।



2. अभद्र भाषा का विवरण:

- अभद्र भाषा भारत में किसी भी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त कानूनी प्रतिबंध के अधीन नहीं है।
- भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, और अन्य कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, में विभिन्न खंड हैं जो अभद्र भाषा को मना करते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 19 सभी को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, हालांकि यह अधिकार अन्य बातों के अलावा, "सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, या नैतिकता" को बनाए रखने के लिए "उचित सीमा" के अधीन है।

अभद्र भाषा: यह क्या है?

- "घृणास्पद" भाषण की बारीकियों पर असहमति है, और अभद्र भाषा को अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है।
- किसी भी प्रकार का संचार-मौखिक, लिखित, या भौतिक- जो उस व्यक्ति या उस समूह के धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, जाति, रंग, वंश, लिंग, या अन्य पहचान कारक के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह को अपमानित या लक्षित करता है, उसे कहा जाता है द्वेषपूर्ण भाषण।

अभद्र भाषा के खिलाफ भारतीय कानून:

- संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता जिम्मेदार अभिव्यक्ति पर आधारित है।

- जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
- भारत में अभद्र भाषा को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अपवाद के रूप में, कुछ कानूनों में कुछ कानूनी प्रावधान अभिव्यक्ति के कुछ रूपों को मना करते हैं।

अभद्र भाषा का निषेध करने वाला विधान

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860;
- देशद्रोह आईपीसी की धारा 124ए के तहत प्रतिबंधित है।
- धारा 153ए आईपीसी के तहत, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि जैसी चीजों के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच शत्रुता को उकसाने वाली दोनों क्रियाएं और साथ ही ऐसे कार्य जो सद्भाव को बनाए रखने के प्रयासों को विफल करते हैं, निषिद्ध हैं।
- राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक अभियोग और घोषणाएं IPC की धारा 153B द्वारा निषिद्ध हैं।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अनुसार, "जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या उसकी मान्यताओं का अपमान करना है" निषिद्ध है।
- जैसा कि आईपीसी की धारा 298 में कहा गया है, "किसी भी व्यक्ति की धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से" बयान, टिप्पणी आदि करना मना है।



- आईपीसी की धारा 505(1) और (2) के तहत वर्गों के बीच दुश्मनी या दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली किसी भी टिप्पणी, अफवाह या रिपोर्ट को छापना या फैलाना गैरकानूनी है।

सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले:

रंगीला रसूल का मामला

- रंगीला रसूल नामक एक हिंदू प्रकाशक की पुस्तक पैगंबर के निजी जीवन की आलोचनात्मक थी।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले पैम्फलेट के खिलाफ धारा 153 ए के तहत की गई कार्रवाई को यह सवाल करने के बाद पलट दिया कि क्या धार्मिक आंकड़ों की आलोचना करना विश्वासों की आलोचना करने से अलग है।
- औपनिवेशिक सरकार ने इस व्याख्या बहस के परिणामस्वरूप इन समस्याओं को दूर करने के लिए अधिक पहुंच के साथ धारा 295A पारित की।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामलाल पुरी

- 1973 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, यह पूछने का सवाल है कि क्या प्रश्न में भाषण "अतिसंवेदनशील व्यक्ति" के विपरीत "सामान्य ज्ञान आदमी" को आहत करता है।
- भले ही अंतर न्यायाधीश से न्यायाधीश में भिन्न होता है और आमतौर पर समझना मुश्किल होता है, अदालत ये निर्णय लेती है।

कर्नाटक राज्य बनाम बरगुर रामचंद्र

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2007 के फैसले पर प्रकाश डाला कि धारा 295A की व्याख्या "एक उचित दृष्टिकोण" का उपयोग करके की जानी चाहिए।
- कन्नड़ उपन्यास धर्मकरण को राज्य सरकार द्वारा धारा 295A और अन्य कानूनों के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था क्योंकि यह निर्धारित किया गया था कि इसमें अभद्र भाषा शामिल है।

मुद्दे:

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामजी लाल और मोदी

- धारा 295ए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
- इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर बनाए रखा था कि इसे "सार्वजनिक व्यवस्था" बनाए रखने के लिए रखा गया था।
- सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, वाक्, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता के लिए संविधान के स्वीकृत मौलिक अधिकारों का अपवाद है।
- कम सजा दर दर्शाती है कि इन कानूनों के दुरुपयोग प्रावधानों को आमतौर पर उन तरीकों से दंडित किया जाता है जिनके माध्यम से एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है।
- आलोचकों का दावा है कि ये नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के बजाय सरकार को कदम उठाने की अनुमति देकर "सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित करने" के लिए हैं।



- कानूनी अस्पष्टता: जब कानूनों को गलत तरीके से लागू किया जाता है, तो वे कभी-कभी अस्पष्ट, अस्पष्ट भाषा का उपयोग करते हैं।
- 1920 के दशक में नस्लीय रूप से आरोपित उत्तर भारत में वृद्धावस्था कानूनों की धारा 295A पारित हुई।

आगे का रास्ता:

- धारा 295ए लिखे जाने के समय एक विशेष सामाजिक प्रतिमान मौजूद था, लेकिन जैसे-जैसे समाज बदल गया है, कानून को भी समायोजित करना चाहिए। अगर इस कानून में अभी भी भूतकाल के भूत मौजूद हैं, तो यह जरूरी नहीं है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास दोनों का सम्मान करने के लिए, धारा 295A को बदला जाना चाहिए।
- सामूहिक अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ समान रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

- यह समझना कि अभद्र भाषा "खतरे के डर" के माध्यम से लोगों के एक विशेष वर्ग के हाशिए पर जाने के लिए उत्प्रेरक या शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करती है, महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का खंडन करेगा।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

-  First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
-  Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
-  Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

